कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्र./मबावि/आईसीडीएस/2011–12/ 1362 भिण्ड, दिनांक 18/8/11

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/उप कार्यकर्ता के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र क्र./एफ 3–2/06/50-2 भोपाल, दिनांक 10.07.07 एवं शासन से पारित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/उप कार्यकर्ता नियुक्ति निर्देशों के अनुसार भिण्ड जिले की निम्नलिखित दर्शाई गई परियोजनाओं में निम्नानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/उप कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **दिनांक 30.08.2011 को शाम 5.30 बजे तक** संबंधित परियोजना कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद	आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद	उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद
1.	गोहद	06	15	02
2.	मौ	00	09	00
3.	रौन	04	01	00
4.	भिण्ड शहरी	05	05	00
5.	गोरमी	00	00	01
6.	लहार	02	01	02
7.	मेंहगॉव	02	03	00
8.	भिण्ड ग्रामीण	02	02	00
	कुल योग –	21	36	05

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/उप कार्यकर्ता के रिक्त पदों की सूची का अवलोकन www.bhind.nic.in पर तथा संबंधित परियोजना कार्यालय तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है।

पद हेतु अनिवार्य अहर्ताऐं–

1. आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम हायर सेकण्डरी/इण्टर उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. आवेदिका को स्थानीय निवासी होने का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल ,विधवा/परित्यक्त/तालकशुदा /30 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता, शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदी का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न करने पर शासन निर्देशानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।
5. समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉं प्रस्तुत की जावे।
6. आवेदिका द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जावे जिसमें उल्लेख हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी व प्रमाण–पत्र सत्य है। फर्जी प्रमाण–पत्र सिद्ध होने पर मेरे विरूद्ध धारा 420 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

आवेदन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित परियोजना अधिकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। चयन का अधार शासन निर्देशानुसार प्राप्तांकों की मेरिट सूची होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला भिण्ड (म.प्र.)